न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–68/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/68

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
रामलाल पुत्र वगताराम जी जाति विश्नोई, निवासी धमाणा, तहसील सांचौर, जिला – जालोर		राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–7–2015 तहसीलदार सांचौर एवं दिनांक 17–5–2016 प्रकरण सं. 10/2016 जिला कलेक्टर, जालोर

उपस्थिति :–
1. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बराडा, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 26.11.2024

1. न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के अपील संख्या 10/2016 अनवान रामलाल बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सांचौर निर्णय दिनांक 17.05.2016 ,से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकील अपीलाण्ट सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

   अधीनस्थ न्यायालय ने मामले की कोई सुनवाई न कर जल्दबाजी में उक्त निर्णय पारित किया गया है जो किया गया निर्णय खारिज योग्य है।

   अपीलार्थी रामलाल अमृतादेवी उद्याण, धमाणा का व्यवस्थापक है तथा उक्त अमृतादेवी उद्यान में आज हजारो वृक्ष खडे है जिसकी

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

देखभाल का कार्य अपीलार्थी करता है उसके द्वारा कोई भी अवैध निर्माण नही किया हुआ है। उक्त भूमि में पानी का टांका बना हुआ है जिससे पानी की मोटर लगाकर हजारो वृक्षो की पिलाई का काम करता है। दो ओरडी जो कच्ची बनी हुई है जिसमे वह रहता है रहकर वृक्षो की देखभाल करता है। उक्त भूमि में गैर मुमकिन रास्ता की बात बताई है वहाँ पर न तो कोई रास्ता था, न है। उसके पास से नर्मदा नहर निकलती है उसके पास में रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का मौका न देकर गलत आदेश पारित किया है जिससे किया गया आदेश खारिज योग्य है।

ग्राम धमाणा की रणछोडाराम, छोगसिंह, राजुसिंह, शैतानसिंह के द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सांचौर को निवेदन किया कि उक्त भूमि पर अवैध कब्जे को हटाया जावे तथा प्रार्थना पत्र मे यह तथ्य वर्णित किया है कि उक्त भूमि के चारो तरफ तारबन्दी कर दी है। तथा रास्ता रोक दिया है जिसमे मुझ अपीलार्थी का यह निवेदन है कि उक्त भूमि में हजारो वृक्ष क खडे है उसके पास नर्मदा नहर की माईनर जो पालडी की ओर जाती है उस माईनर के पास रास्ता है। लोगों के आने जाने के लिए कोई रास्ता बन्द नहीं है परन्तु लोग जो वृक्ष खडे है उनको कटवाने पर उतारू है। उक्त वृक्ष हरियाली राजस्थान के तहत ग्रामीणो द्वारा लगाये गये थे जिसको तगसिंह, भगवानसिंह वगैरा कटवाना चाहते है जिस कारण उक्त झूठी शिकायत करवाकर पटवारी हल्का द्वारा 91 की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर कार्यवाही नही की जाकर पटवारी की लिखत रिपोर्ट पर की गई है जो कार्यवाही निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है उक्त भूमि पर हजारो वृक्ष खडे है। अपीलार्थी पर्यावरण प्रेमी होने के नाते उक्त वृक्षों की सेवा करता है तथा घायल हिरण व पक्षी जो बीमार रहते है उनका डॉक्टरों को बुलाकर ईलाज करवाता है एवं उनकी देखभाल करता है। उक्त भूमि पर कोई रास्ता नहीं है शिकायतकर्ता अपीलार्थी से रंजिश रखते है इस कारण तहसीलदार को झूठी शिकायत की थी उक्त शिकायत के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध 91 की कार्यवाही की गई है जो सरासर गलत होने से खारिज योग्य है।

अपीलार्थी को श्रीमान् जिला कलेक्टर के निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी, न ही उसके अधिवक्ता ने निर्णय की जानकारी दी थी। दिनांक 02.10.2016 को पटवारी हल्का ने बताया कि आपके कलेक्टर मे चलने वाली अपील का निस्तारण हो गया है तब अपीलार्थी दिनांक 04.10.2016 को तहसीलदार कार्यालय गया व निर्णय की नकल मांगी जो दिनांक 04.10.2016 को प्राप्त हुई, नकल मिलने पर जिला कलेक्टर के निर्णय की जानकारी हुई। जो जानकारी के अनुसार अन्दर म्याद पेश है फिर भी धारा 5 मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

पटवारी हल्का, धमाणा द्वारा एक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धमाणा की सरहद में खसरा नबंर 1099, 1070, 1071, 1072, 1220 रकबा 4.06 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता व बारानी दोयम पर गैर सायल रामलाल द्वारा छीणपट्टी लगाकर तारबन्दी कर

20.11.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

व पानी का टांका बनाकर व दो ओरडी बनाकर अतिक्रमण कर दिया है। गैर सायल के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। पटवारी हल्का ने उक्त पत्रावली दिनांक 16.7.2015 को पेश की गई व आगामी तारीख 20.7.2015 को नियत की गई। दिनांक 20.7.2015 को गैर सायल के नोटिस तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहा। दिनांक 20.7.2015 को न्यायालय द्वारा फैसला कर 450/– रूपये जुर्माना आरोपित कर व बेदखली का आदेश किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा जिला कलेक्टर, जालौर के यहाँ अपील प्रस्तुत की गई थी। दिनाँक 17.5.2016 को जिला कलेक्टर ने अपील में सुनवाई कर अपीलार्थी की अपील खारिज की गई।

अतः अपील अपीलार्थी पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.7.2015 को खारिज फरमाकर पत्रावली को रिमाण्ड किया जाने का आदेश प्रदान करावे तथा हरियालो राजस्थान के तहत लगे वृक्षो को न काटे जाने का आदेश प्रदान करायें।

6. हमने उपस्थित पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का वगौर अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पाया गयाकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को ध्यान पूर्वक सुना गया नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज करने के पश्चात संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। न ही अपीलाण्ट को सी पी सी के विधिक प्रावधानो के अनुसार सुना गया है। प्रकरण में तहसीलदार, सांचौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2015 एवं न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के निर्णय दिनांक 17.5.2016 इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सांचौर 10/2015 निर्णय दिनांक 20.07.2015 एवं न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर की अपील सं. 10/2016 निर्णय दिनांक 17.05.2016 को अपास्त किया जाता है।न्यायालय तहसीलदार, सांचौर को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ पुनः प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड) किया जाता है कि विवादित भूमि पर लगे पेड नही कटे। पेडो व टांके को ग्राम पंचायत अपनी देखरेख में सुरक्षित रखें। किसी का भी व्यक्तिगत अतिकमण हो तो हटाया जावे। अपीलाण्ट को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने एवं परीक्षण करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

28.11.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

28.11.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)